न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 155/2020, जिला दौसा

1. कजोडमल (मृतक दौराने अपील)
1/1. लाडी देवी पत्नि स्व. कजोडमल,
1/2. सीता पत्नि स्व. महेन्द्र
1/3. हरिमोहन पुत्र स्व. कजोडमल
1/4. निखिल उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता सीता देवी पत्नि स्व. महेन्द्र
1/5. प्रियांशु उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता सीता देवी पत्नी स्व. महेन्द्र

समस्त जाति ब्राहमण निवासी छोटी दौसा तहसील व जिला दौसा।

2. रामजीलाल
3. बाबूलाल
4. रमेश

पितरान स्व. परसाराम, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी दौसा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. नगरपरिषद दौसा जरिए आयुक्त
2. सभापति, नगरपरिषद, दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थित

1. श्री योगेश जाकड, वकील अपीलान्ट .
2. श्री अब्दुल मजीद, रेस्पो. नं. 1 व 2
3. राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 17.08.2011 आर. जी.पी. (28) 2006/7044

निर्णय

दिनांक —13.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 17.08.2011 के खिलाफ प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 12.04.2013 को प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 17.08.2011 को आयुक्त नगरपालिका मण्डल दौसा के अनुरोध पर तहसीलदार दौसा एवं उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा नगर पालिका दौसा क्षेत्र के ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 2.79 है0, ख.नं. 88 रकबा 0.46 है0, ख.नं. 623 रकबा 0.10 है., ख.नं. 684 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 1174/1733 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 1176 रकबा 0.11 है0, ख.नं. 1233 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 1241 रकबा 3.08 है0, ख.नं. 1311 रकबा 0.14 है0, ख.नं. 1333 रकबा 0.32 है0, ख.नं. 1455 रकबा 0.02 है0, ख.नं. 1485 रकबा 0.27 है0, ख.नं.1642 रकबा 0.02 है0 कुल किता खसरा नम्बरान 16 रकबा 8.35 है0 भूमि को नगरपालिका दौसा को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव प्रेषित किये गये। राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(9)राज—6/96 पार्ट 39 दिनांक 8.12. 2010 द्वारा नगरपालिकाओं की नगर योग्य सीमाओं के भीतर आने वाली समस्त सरकारी भूमियों को भूराजस्व के 40 गुणा के समतुल्य भूमि के पूंजीगत मूल्य के संदायी पर हस्तान्तरण किये जाने के प्रावधान के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 17.08.2011 को प्रस्तावित भूमि को नगर पालिका दौसा को हस्तान्तरण के आदेश पारित किये गये।

Scanned by CamScanner

3. जिला कलेक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.08.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 17.08.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सपठित धारा 151 सीपीसी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपीलांट नं. 1 मृतक कजोडमल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि दौसा खुर्द में भूमि खसरा नं. 1311 रकबा 0.14 है0 सिवायचक स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के पूर्वज का कब्जा सं. 2012 से लगातार चला आ रहा है तथा आज दिन भी मौके पर अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट ने चारों ओर पुख्ता डण्डा निर्मित कर रखा है तथा अपीलांट के पूर्वजों द्वारा लगाये हुए काफी सारे पेड भी मौके पर मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा एक वाद उद्‌धोषणा व स्थायी नि. उनवानी कजोडमल बनाम राज. सरकार व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें जिला कलेक्टर दौसा, तहसीलदार दौसा पक्षकार है तथा उप जिला कलेक्टर दौसा ता. 20.2.2009 को उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम टी.आई. इस आशय की पारित कर रखी है कि अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने तथा भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। उक्त अन्तरिम टी.आई आज दिन तक प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण में स्वंय जिला जिला कलेक्टर व तहसीलदार दौसा पक्षकार तथा अन्तरिम टी.आई. से प्रतिबन्धित है। जिला कलेक्टर दौसा को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी है। इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर दौसा द्वारा भूमि खसरा नं. 1311 को नगर पालिका दौसा को स्थानान्तरित करने अवैध आदेश पारित कर दिये। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 17.08.2011 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता व वकील रेस्पोडेन्ट ने विरोध करते हुये कथन किया कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 17.08.2011 को आयुक्त नगरपालिका मण्डल दौसा के अनुरोध पर तहसीलदार दौसा एवं उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा नगर पालिका दौसा क्षेत्र के ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 2.79 है0, ख.नं. 88 रकबा 0.46 है0, ख.नं. 623 रकबा 0.10 है., ख.नं. 684 रकबा 0.08 है0, ख.नं. 1174/1733 रकबा 0.20 है0, ख.नं. 1176 रकबा 0.11 है0, ख.नं. 1233 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 1241 रकबा 3.08 है0, ख.नं. 1311 रकबा 0.14 है0, ख.नं. 1333 रकबा 0.32 है0, ख.नं. 1455 रकबा 0.02 है0, ख.नं. 1485 रकबा 0.27 है0, ख.नं.1642 रकबा 0.02 है0 कुल किता खसरा नम्बरान 16 रकबा 8.35 है0 भूमि को नगरपालिका दौसा को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव प्रेषित किये गये। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(9)राज–6/96 पार्ट 39 दिनांक 8.12.2010 द्वारा नगरपालिकाओं की नगर योग्य सीमाओं के भीतर आने वाली समस्त सरकारी भूमियों को भूराजस्व के 40 गुणा के समतुल्य भूमि के पूंजीगत मूल्य के संदायी पर हस्तान्तरण किये जाने के प्रावधान के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 17.08.2011 को प्रस्तावित भूमि को नगर पालिका दौसा को हस्तान्तरण के आदेश पारित किये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा आयुक्त नगरपालिका मण्डल दौसा के अनुरोध पर तहसीलदार दौसा एवं उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा नगर पालिका दौसा क्षेत्र के ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि उपरोक्त खसरा कुल किता खसरा नम्बरान 16 रकबा 8.35 है0 भूमि को नगरपालिका दौसा को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(9)राज–6/96 पार्ट 39 दिनांक 8.12.

Scanned by CamScanner

2010 द्वारा नगरपालिकाओं की नगर योग्य सीमाओं के भीतर आने वाली समस्त सरकारी भूमियों को भूराजस्व के 40 गुणा के समतुल्य भूमि के पूंजीगत मूल्य के संदायी पर हस्तान्तरण किये जाने के प्रावधान के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव एवं अभिशंषा के आधार पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 17.08.2011 को प्रस्तावित भूमि को नगर पालिका दौसा को हस्तान्तरण के आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हैं।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 17.08.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner